FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

- **सीताराम पुत्र रामेश्वर जाति वैष्णव निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य**

–प्रार्थी

बनाम

- **राजेन्द्र धोबी पुत्र श्री रामेश्वर जाति धोबी निवासी ग्राम पडासौली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0 व अन्य**

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111,128 आरटीए

नंबर 54/2025
ऑनलाइन नंबर **2025 /**..........

वकील प्रार्थी :– श्री अशोक शर्मा **वकील अपार्थीगण........**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22/8/25	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा धारा 111,128 आरटीए के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्राथीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 26/9/25.........को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
26/9/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप. प्रति0 1 लगायत 15 की तामील रिपोर्ट प्राप्त / प्रतिवादीगण जवाब पेश हेतु पत्रावली दिनांक 08/10/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अरांई	
8/10/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप0। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 15/10/25 को पेश हो।	
15/10/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप0/ बावजूद तामील रिपोर्ट हेतु दिनांक 29/10/25 को पेश हो/ पुनश्च प्रतिवादी 1 लगायत 15 को जवाब हेतु अंतिम अवसर देने पर भी जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया 29/10/25 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

29/10/25 प्रतिवादी गण को एकपक्षीय किया जाता है। वास्ते TDR रिपोर्ट हेतु

पत्रावली दिनांक 12/11/25 को पेश हो

WP

उपखण्ड अधिकारी
अराई

TDR रिपोर्ट
प्राप्त

12/11/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप०/

वकील वादी की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में निर्णय पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली पूर्तिल सुधार होकर रिकार्ड में जमा हो।

WP

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

विधिक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 58/2025

1. सीताराम आयु 45 वर्ष पुत्र श्री रामेश्वर जाति वैष्णव निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर राज०
2. श्योजी आयु 36 वर्ष पुत्र श्री रामेश्वर वैष्णव जाति वैष्णव निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर राज०
3. कैलाश चन्द्र वैष्णव आयु 47 वर्ष पुत्र श्री हरि प्रसाद वैष्णव जाति वैष्णव निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर राज०
4. विकास वैष्णव आयु 32 वर्ष पुत्र श्री राधेश्याम वैष्णव जाति वैष्णव निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर राज०

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजेन्द्र धोबी पुत्र श्री रामेश्वर जाति धोबी निवासी ग्राम पडासौली तहसील दूदू जिला जयपुर राज०
2. लक्ष्मण राम पुत्र श्री रामेश्वर जाति धोबी निवासी ग्राम पडासौली तहसील दूदू जिला जयपुर राज०
3. शंकर लाल पुत्र श्री रामेश्वर जाति धोबी निवासी ग्राम पडासौली तहसील दूदू जिला जयपुर राज०
4. सत्यनारायण पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी ए–202, पालम अपार्टमेन्ट, बिजवासन गांव, दिल्ली
5. पवन कुमार पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी 97 क, जांगिड भवन, वार्ड संख्या 05, फुलेरा तहसील सांभरलेक जिला जयपुर राज०
6. इन्द्रा देवी पत्नी रामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर राज०
7. गेखा देवी पत्नी छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर राज०
8. गलोल पत्नी गोपी जाति गुर्जर निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर राज०
9. पाना देवी पत्नी गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर राज०
10. पांचू पुत्र नाथू जाति जाट निवासी ग्राम कैरियां बुर्जुग तहसील दूदू जिला जयपुर राज०
11. भैरूलाल पुत्र नाथू जाति जाट निवासी ग्राम कैरियां बुर्जुग तहसील दूदू जिला जयपुर राज०
12. हरिदास पुत्र लालदास जाति वैष्णव जाति वैष्णव निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर राज०
13. घीसा पुत्र रामलाल जाट जाति जाट निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर राज०
14. राजू पुत्र रामलाल जाट जाति जाट निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर राज०
15. तहसीलदार महोदय, कार्यालय तहसील अराई जिला अजमेर राज० अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक 12|11|25

वकील वादी श्री अशोक शर्मा एडवोकेट

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री अशोक शर्मा एडवोकेट द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 22.8.2025 को माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज रजिस्टर क्रमांक 54/2025 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई।

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादी ने निवेदन किया कि जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 जमाबंदी 2076 [illegible] स्थायी के आराजी खाता संख्या 433 नया एवं 385 पुराना के आराजी खसरा नम्बर 286 रकबा 5.8895 [illegible] बारानी कुल किता 01 कुल रकबा 5.8895 जो कि ग्राम माला पटवार हल्का गागुन्दा भू०अभि०नि० क्षे० भोगादीत तहसील अरांई जिला अजमेर राज० में स्थित है जिसका प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार है एवं उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण कई वर्षो से काबिज है एवं उक्त में प्रार्थीगण का किसी अन्य व्यक्ति्त से कोई संबध / हिस्सा से सरोकार नही है एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 प्रार्थीगण की आराजीयात के पडौसी खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण के समीप में पडौसी अप्रार्थी खातेदार संख्या 01 से 05 के खसरा संख्या 278 रकबा 2.9367 हैक्टेयर जमाबन्दी अनुसार हिस्सा, अप्रार्थी खातेदार संख्या 06 से 09 का खसरा संख्या 283 रकबा 1.6583 एवं अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 11 का खसरा संख्या 282 रकबा [illegible] 5339 एवं अप्रार्थी संख्या 12 का खसरा संख्या 290 में रकबा 1.4481 हिस्सा 1/2, अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 14 के खसरा संख्या 225 रकबा 1.2135, के पडौसी है उक्त पडौसी खातेदारो के खेत होने से प्रार्थीगण की मेर सींव को लेकर ये सभी समीपवृति काश्तकार आये दिन विवाद करते रहते है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 जो कि प्रार्थीगण की आराजी के पडौसी काश्तकार है, जो आये दिन मेर सींव को लेकर प्रार्थीगण से विवाद रखते हैं, मेर कोर को लेकर किसी प्रकार से विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। इसलिये उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो सकें। यह कि प्रार्थीगण के ऑनलाईन आवेदन जरिये टोकन संख्या 2025/21842/15 में तहसीलदार अरांई के आदेशानुसार दिनांक 07.06.2025 को उक्त खसरा नम्बर 286 का सीमाज्ञान मुतकिल बिन्दू से किया जाकर मौका पर्चा बनाया जाकर मौतबिरान व समीपवृति पडौसियान की उपस्थिति में राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है, बावजूद इसके पडौसी खातेदार काश्तकार उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर रहे है एवं आये दिन तारबन्दी को तोडकर, मेर नीव, सींव मेड, ढोल, इत्यादि को हटाने के उददेश्य से विवाद रखते हुए विवाद उत्पन्न करते रहते हैं। तहसीलदार महोदय अरांई के सीमाज्ञान आदेश की अनुपालना में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा सीमाज्ञान कर जो सीमा कायम की गई है उस पर प्रार्थीगण द्वारा पत्थर के खम्बे लगाकर तारबंदी की गई तो कुछ दिन बाद जब प्रार्थीगण स्वयं की आराजीयात की देखभाल करने के लिए उपस्थित हुए तो अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 ने प्रार्थीगण को गाली–गलौच करते हुए ऐसे सीमाज्ञान को नानने से इंकार करते हुए मेडबन्दी पर लगे तारबन्दी एवं पत्थर के खम्बों को तोडकर हटा दिया एवं सीमा पर की गई पुरानी मेडबन्दी को हटा की ऐलानिया धमकी प्रदान की एवं सीमाज्ञान की बनाई हुई सीमा को अप्रार्थी / पडौसी खातेदारान द्वारा दिनांक 01.07.2025 को मानने से इन्कार कर दिया है तथा अप्रार्थीगण अपनी सीमाओं से अधिक बढकर प्रार्थीगण की आराजी की सीमाओं में घुसकर मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करने के कारण प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रकरण दिनांक 22.8.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। दिनांक 8.10.2025 को प्रतिवादीगण की तामीली रिपोर्ट प्राप्त हुई । को सम्मन नोटिस तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई । दिनांक 29.10.2025 को बावजूद सम्मन नोटिस तामिली के अनुपस्थित रहने पर [illegible] के विरूद्ध एकपक्षियी कार्यवाही की गई । तहसीलदार अराई की जाच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है । हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। :पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम माला पटवार हल्का गागुन्दा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भोगादीत तहसील अरांई जिला अजमेर में अवस्थित है जिसकी खाता संख्या नया 433 एव पुराना 385 के खसरा संख्या 286 क्षेत्रफल 5.8895 हेक्टेयर का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.11.25.....को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner